न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।**

श्रवण बनाम गिर्राज प्रसाद
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/104/2024

16.04.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 121 हाल आराजी खसरा नम्बर 498/1.04, 497/0.04 किता 02 रकबा 1.08 हैक्टर वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी को विधिवत रूप से तकसीम होने तक रहन बय हिबा आदित किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिल का दस्तावेज पंजीबद्व करें, न करावें न असल अप्रार्थी संख्या 3 ऐसा कोई दस्तावेज पंजीबद्व करें न ही प्रार्थी को उक्त आराजी से उसके हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग अर्थात फसल बोने–जोतने काटने लाने–ले–जाने आदि में प्रार्थी के साथ व्यवधान उत्पन्न करें। ना ही उक्त विवादित आराजी में लगे पेड–पोधों को जबरन काटे। अंत में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है। वादी तकसीम कराने का अधिकारी है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है *कि हाल आराजी खाता संख्या 121 हाल आराजी खसरा नम्बर 498/1.04, 497/0.04 किता 02 रकबा 1.08 हैक्टर वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर* मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 14.05.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला–अलवर

तारीख हुक्म	**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	15/5/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. व अप्रार्थी 1 व 2 बाद सूचना तामील उप. नही उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वास्ते जवाब प्रति. 3 व तलबी तर. प्रति. 4 दि. 10/7/24 को पेश हो। SDO 10/7/24 पत्रावली पेश। वकील वादी उप. वास्ते जवाब प्रति. 3 व तलबी तर. प्रति. 4 दिनांक 9/9/24 को पेश हो। SDO 9/9/24 ....अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 21/12/24 को पेश हो S.D.O. 21/12/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। वास्ते जवाब पैरोकार दि. 7/1/25 को पेश हो। SDO 07/01/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. व पैरो. प्रति. उप.। जवाब पैरोकार बंद किया जाता है। बाद गौर प्रार्थना पत्र मूलवाद के निर्णय तक ताफैसला दोनो मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलग्न मूलवाद हो। sd/- SDO	